INDIA TEN RUPEES भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(91) ~~90~~

विविध प्रकरण क्रं. : .... / 2018

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

विविध– 4846/2018/इंदौर/भू.रा.

योगेन्द्र पिता हरिसिंह
निवासी : ग्राम नेवरी, तह. हातोद,
जिला इन्दौर (म.प्र.) — प्रार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन — प्रतिप्रार्थी

आवेदन पत्र धारा 32 एवं धारा 52 म.प्र.भू.रा.संहिता, 1959 सहपठित धारा 148 एवं 151 सी.पी.सी.

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, प्रार्थी के विरूद्ध तहसीलदार, हातोद के द्वारा प्रकरण क्रं. 24–अ–68/2016–17 पंजीबद्ध करते हुए दिनांक 12–12–2017 को प्रार्थी को बिना सुने उसके विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी, हातोद, जिला इन्दौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी जो अपील प्रकरण क्रं. 18/अपील/2017–18 पर पंजीबद्ध की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 12–03–2018 को प्रार्थी की अपील निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये है। प्रार्थी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की है जो विचाराधीन होकर दिनांक 20–08–2018 पेशी तारीख नियत है।

07/08/18

07.8.18

14.8.18

7/8/18

अविरत 2

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 4846/2018/इंदौर/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-9-18	आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने के कारण नॉटप्रेस में समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया । अत: प्रकरण आवेदक के निवेदन पर आगे नहीं चलाये जाने के कारण नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	